



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 144]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 1990/चैत्र 10, 1912

No. 144]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 1990/CHAITRA 10, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जल-मूल परियोजना मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिमूचनाएं

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1990

सा.का.नि. 425(अ)--केन्द्रीय सरकार, महापत्तन स्थान अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदान की गयी शक्तों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त अधिनियम तालिका में क्रम सं. 1 से 12 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों का सम्बन्धी पत्तन के स्वामी मंडल में स्वामी नियुक्त करता है तथा उक्त तालिका में क्रम संख्या 13 से 19 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने गए स्वामियों के रूप में अधिमूचित करती है।

तालिका

- | | |
|--|--|
| 1. अध्यक्ष | --- |
| 2. उपाध्यक्ष | --- |
| 3. अधिक (गृह, परियोजना विभाग) महाराष्ट्र सरकार | महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए |
| 4. संयुक्त सचिव (पत्तन)
जल-मूल परियोजना मंत्रालय | जल-मूल परियोजना मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए |
| 5. सीमा शुल्क कन्ट्रोलर,
बम्बई | सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए |
| 6. पैगैंग आफिसर के चीफ स्टाफ आफिसर
महाराष्ट्र क्षेत्र | रक्षा सेवाओं--तांसे. का प्रतिनिधित्व करने के लिए |

7. मुख्य परिव्यालय अधीनक, सेंट्रल रेलवे, बम्बई	भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए
8. निदेशक (मार्केटिंग प्रभाग), भारतीय तेल निगम लि., बम्बई	भारतीय तेल निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए
9. श्री जगदीश सी. शोब, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय नौवहन निगम लि.	भारतीय नौवहन निगम लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए
10. अध्यक्ष, अवाहर लाल नेहरू पवन, न्हावा शेवा	अवाहर लाल नेहरू पवन का प्रतिनिधित्व करने के लिए
11. डा. आनंदि पटेल	पवन में लगे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए
12. श्री एस आर कुलकर्णी	
13. श्री ए सी पदमती	ग्राल इंडिया शिपर्स कौंसिल का प्रतिनिधित्व करने के लिए
14. श्री बी एम पारेख	इंडियन नेशनल शिपमैनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए
15. श्री ए एस कामर्जीवाल	महाराष्ट्र चैम्बर आफ कामर्स, बम्बई का प्रतिनिधित्व करने के लिए
16. श्री जी नाथराम	बम्बई चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री बम्बई का प्रतिनिधित्व करने के लिए
17. श्री प्रवीण कताकिया	कस्टम्स हाउस एजेण्ट्स एसोसिएशन बम्बई का प्रतिनिधित्व करने के लिए
18. श्री प्राण लाल भोगीलाल	इंडियन सर्वेयर्स चैम्बर, बम्बई का प्रतिनिधित्व करने के लिए
19. श्री आर एस कपूर कार्यकारी निदेशक	बम्बई एवं न्हावा शोक शिप इंटरमोडल एजेंट एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1990 से प्रभावी होगी।

[का.सं. पीटी-18011-1/89-मंटी]

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 31st March, 1990

G.S.R. 425(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 12 in the Table below to be trustees on the Board of Trustees for the port of Bombay and notifies the persons mentioned against serial numbers 13 to 19, in the said Table as elected to be Trustees on the said Board :—

Table

1. Chairman	—
2. Dy. Chairman	—
3. Secretary (Deptt of Home Transport) Govt. of Maharashtra.	Representing the Govt. of Maharashtra.
4. Joint Secretary (Ports), Min. of Surface Transport	Representing the Ministry of Surface Transport.
5. Collector of Customs, Bombay	Representing the Customs Deptt.
6. Chief Staff Officer to Flag Officer, Maharashtra Area	Representing the Defence Services—Navy.

8. Director, (Marketing Division) Indian Oil Corporation Ltd, Bombay.	Representing the Indian Oil Corporation.
9. Shri Jagdish C. Sheth Chairman & Managing Director, Shipping Corporation of India Ltd.,	Representing the Shipping Corporation of India Ltd.
10. Chairman, Jawaharlal Nehru Port, Nhava Sheva	Representing the Jawaharlal Nehru Port.
11. Dr. Shanti Patel	Representing Labour employed in the port.
12. Shri S.R. Kulkarni	
13. Shri A.C. Padamsee	Representing the All India Shippers Council
14. Shri V.M. Parekh	Representing the Indian National Shipowners Association.
15. Shri A.S. Kasliwal	Representing the Maharashtra Chamber of Commerce, Bombay.
16. Shri G. Mathrani	Representing the Bombay Chamber of Commerce & Industry Bombay.
17. Shri Praveen Kanakia	Representing the Customs House Agents Association, Bombay.
18. Shri Pranlal Bhogilal	Representing the Indian Merchants Chamber, Bombay.
19. Shri R.S. Cooper, Executive Director	Representing Bombay Nhava Sheva Ship Agents Association.

2. This notification shall come into force on the 1st day to April, 1990.

[PT-18011-1/89-PT]

सा.का.नि. 426(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन व्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम सं. 1 से 13 तथा 19 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों की कलकत्ता पत्तन के श्यामी मंडल में श्यामी नियुक्त करती है तथा उक्त तालिका में क्रम संख्या 14 से 18 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने गए श्यासियों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

	तालिका
1. अध्यक्ष	---
2. उपाध्यक्ष (कलकत्ता पत्तन व्यास)	---
3. उपाध्यक्ष (दुस्विद्या डाक काम्प्लेक्स)	---
4. सचिव, कामर्स एण्ड इंडस्ट्री विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार	पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए
5. संयुक्त सचिव (पत्तन) जल-मूल परियोजना मंत्रालय	जल-मूल परियोजना मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए
6. सीमा शुल्क कलक्टर, कलकत्ता	सीमाशुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए
7. नेबल प्राक्सिटर इन्चार्ज, कलकत्ता	रक्षा सेवाएं—नीसेना का प्रतिनिधित्व करने के लिए
8. प्रमुख परिवहन अधीक्षक, सर्किर्ण पूर्व रेलवे, कलकत्ता	भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए
9. प्रमुख अधिकारी, मरकोस्टाइन मरीन विभाग, कलकत्ता	मरकोस्टाइन मरीन विभाग, कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए

10. केंद्रीय महाप्रबंधक, भारतीय नौवहन निगम लि., कलकत्ता	भारतीय नौवहन निगम लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए
11. भारतीय तेल निगम लि. कलकत्ता	भारतीय तेल निगम लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए
12. श्री जानकी मुखर्जी	} अमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, दो ग्वासी
13. श्री पार्वती दास	
14. श्री संजय सेन	भारत इंडिया शिपर्स कौंसिल का प्रतिनिधित्व करने के लिए
15. श्री एच पी नोपानी	नौवहन हित एसोसिएशन कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए
16. श्री दीपक खैतान	इंडियन चैम्बर आफ कामर्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए
17. श्री तारापद चक्रवर्ती	बंगाल नेशनल चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए
18. श्री बी एस बोस	बंगाल चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए
19. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय अस्तवैसाय जल परिवहन निगम, कलकत्ता	केन्द्रीय अंतर्वेसाय जल परिवहन निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1990 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. पी टी 18011-2/89-पीटी]

G.S.R. 426(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 of Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 13 and 19 in the Table below to be the Trustees on the Board of Trustees for the port of Calcutta, and notifies the persons mentioned against serial numbers 14 to 18 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely :—

TABLE

1. Chairman	
2. Dy. Chairman. (Calcutta Port Trust)	
3. Dy. Chairman (Haldia Dock Complex)	
4. Secretary, Commerce and Industries Department, Govt. of West Bengal.	Representing the Govt. of West Bengal.
5. Joint Secretary (Ports) Min. of Surface Transport	Representing the Ministry of Surface Transport.
6. Collector of Customs	Representing the Customs Deptt.
7. Naval Officer-in-Charge, Calcutta	Representing the Defence Service—Navy.
8. Chief Operating Superintendent, South-Eastern Railways.	Representing the Indian Railways.
9. Principal Officer, MMD, Calcutta.	Representing the Mercantile Marine Department, Calcutta.
10. Regional General Manager, Shipping Corporation of India, Calcutta.	Representing the Shipping Corporation of India Ltd.
11. General Manager, Indian Oil Corporation Ltd. Calcutta.	} Representing the Indian Oil Corporation of India Ltd. Two Trustees representing Labour.
12. Shri Janaki Mukherjee	
13. Shri Parbati Das	
14. Shri Sanjoy Sen	Representing the All India Shippers Council.

15. Shri H.P. Nopany	Representing the Association of Shipping Interests Calcutta.
16. Shri Dipak Khaitan	Representing the Indian Chamber of Commerce.
17. Shri Tarapada Chakraborty	Representing the Bengal National Chamber of Commerce and Industry.
18. Shri D.S. Bose	Representing the Bengal Chamber of Commerce and Industry.
19. Chairman & Managing Director, CIWTC, Calcutta	Representing the Central Inland Water Transport Corporation, Calcutta.

2. This notification shall come into force on the 1st April, 1990.

[F. No. PT-18011-2/89-PT]

सा. का. नि. 427(घ).--केन्द्रीय सरकार, महाप्रबन्धन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित मालिका में क्रम सं. 1 से 12 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को मद्रास पत्तल के न्यासी मंडल में न्यासी नियुक्त करती है तथा उक्त मालिका में क्रम संख्या 13 से 17 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने गए न्यासियों के रूप में अधिसूचित करती है।

तालिका

1. अध्यक्ष	---
2. उपाध्यक्ष	---
3. परिवहन आयुक्त एवं सचिव तमिलनाडु सरकार	तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए
4. अध्यक्ष, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण	जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए
5. सीमा शुल्क कलक्टर, मद्रास	सीमाशुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए
6. नेवल आफिसर, इन्चार्ज, मद्रास	रक्षा सेवाओं --नीतिना का प्रतिनिधित्व करने के लिए
7. मुख्य प्रबन्धन अधीक्षक, दक्षिणी रेलवे, मद्रास	भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए
8. अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक, मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास	मद्रास रिफाइनरीज लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए
9. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, भारतीय मोचहन निगम	भारतीय मोचहन निगम लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए
10. महाप्रबन्धक, मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए
11. श्री एम सी सी एन्थोनी पिन्ने	पत्तल में नये अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए
12. श्री एस कृष्णन	पत्तल में लगे अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए
13. श्री के वी श्रीनिवासन, सबसे इंडिया शिपर्स एसोसिएशन	ग्रास इंडिया शिपर्स कौंसिल का प्रतिनिधित्व करने के लिए
14. श्री के. शंकर,	इंडियन नेशनल शिपमीनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए
15. श्री राजीव राम, प्रबन्ध निदेशक, मैसर्स प्रार के प्रार स्टील्स लि.	हिन्दुस्तान स्टील प्रार कामर्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए
16. श्री के सी रमण	मद्रास चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए
17. श्री जी द्वारकानाथन	सबसे इंडिया चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1990 से प्रभावी होगी।

G.S.R. 427(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-Section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 12 in the Table below to be trustees on the Board of Trustees for the Port of Madras, and notifies the persons mentioned against serial numbers 13 to 17 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely :—

Table

1. Chairman	
2. Deputy Chairman	
3. Commissioner and Secretary, Transport, Govt. of Tamil Nadu.	Representing the Government of Tamil Nadu.
4. Chairman, IWAI	Representing the Ministry of Surface Transport.
5. Collector of Customs, Madras	Representing the Customs Department.
6. Naval Officer-in-Charge Madras.	Representing the Defence Services—Navy
7. Chief Operating Supdt. Southern Railway, Madras.	Representing the Indian Railways
8. Chairman & Managing Director, Madras Refineries Ltd., Madras.	Representing the Madras Refineries Ltd.
9. Joint Managing Director Shipping Corporation of India.	Representing the Shipping Corporation of India.
10. General Manager Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd.	Representing the Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd.
11. Shri S.C.C. Anthoni Pillai	Representing the labour employed in the Port
12. Shri S. Krishnan	Representing the Labour employed in the Port.
13. Shri K.V. Srinivasan	Representing the All India Shippers Council.
14. Shri K. Shankar	Representing the Indian National Shipowners Association.
15. Shri Rajiv Rai, Managing Director, M/s RKKR Steels Ltd.	Representing the Hindustan Chamber of Commerce.
16. Shri K.C. Raman	Representing the Madras Chamber of Commerce & Industry, Madras.
17. Shri G. Dwarakanathan	Representing the Southern India Chamber of Commerce and Industry.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1990.

[F. No. PT-18011/3/89-PT]

मा. का. नि. 428(अ) :—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन व्याप्त अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम सं. 1 से 11 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों का कोचीन पत्तन के शक्तिधारी के बोर्ड में शक्ति नियुक्त करती है तथा उक्त तालिका में क्रम संख्या 12 से 15 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड का शक्ति बनने के लिये चुने हुए शक्तियों के रूप में अधिसूचित करती है, नामतः—

तालिका

1. अध्यक्ष	--
2. उपाध्यक्ष	--
3. आयुक्त एवं शक्ति/सचिव/विशेष सचिव, केरल सरकार	--केरल सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
4. निदेशक (नीवहन) जल-भूतल परिवहन संज्ञानय	--जल-भूतल परिवहन संज्ञालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
5. सीमा शुल्क कलक्टर, कोचीन	--सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
6. नेयव आफिसर इन्चार्ज, कोचीन	--रक्षा सेवा का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

7. प्रभागीय रेलवे प्रबंधक, दक्षिणी रेलवे, त्रिवेन्द्रम प्रभाग	--भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
8. अध्यक्ष, एच पी ई सी	--वैदिया प्रोबकट एक्सपोर्ट डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
9. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कोचीन रिफाइनरीज लि.	--कोचीन रिफाइनरीज लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
10. श्री वयालर रवि	--पत्तन में लगे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
11. श्री के पी एस मेनन	--पत्तन में लगे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
12. श्री डी. एम. बिण्ट	--इंडियन नेशनल शिपओवर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
13. श्री के. बालाहरीहरन	--दक्षिण कैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
14. श्री ए. गोपकुमार	--इंडियन कैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
15. श्री के सुगुनेन्द्रन	--साउथ वेस्टर्न इंडिया शिपर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1990 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. पी. टी.-18011-5/89-पीटी]

G.S.R. 428(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts, Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 11 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Cochin, and notifies the persons mentioned against serial numbers 12 to 15, in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely :—

TABLE

1. Chairman	
2. Deputy Chairman	
3. Commissioner and Secretary Incharge of Ports, Govt. of Kerala	Representing the Government of Kerala.
4. Director (Shipping) Min. of Surface Transport.	—Representing the Ministry of Surface Transport.
5. Collector of Customs, Cochin.	—Representing the Customs Department.
6. Naval-Officer-in-Charge Cochin	—Representing the Defence Services—Navy.
7. Divisional Railway Manager, Southern Railways, Trivandrum Division	—Representing the Indian Railways.
8. Chairman, Marine Products Export Development Authority	—Representing the Marine Products Exports Development, Authority.
9. Chairman & Managing Director, Cochin Refineries Ltd.	—Representing the Coching Refineries Ltd.
10. Shri Vayalar Ravi	—Representing the Labour employed in the Port.
11. Shri K.P.S. Menon	—Representing the Labour employed in the Port.
12. Shri D.S. Bisht	—Representing the Indian National Shipowners' Association.
13. Shri K. Balahariharan	—Representing the Cochin Chamber of Commerce and Industry.
14. Shri A. Gopakumar	—Representing the Indian Chamber of Commerce and Industry.
15. Shri K. Sugunendran	—Representing the South Western India Shippers Association.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1990.

[No. PT-18011-5/89-PT]

सा.का.वि. 429(अ) :--केन्द्रीय सरकार, महापत्तन खास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 के उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एजवुटा निम्नलिखित तालिका में क्रम सं. 1 से 8 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को कान्डला पत्तन के न्यासियों के बोर्ड में न्यायी नियुक्त करती है तथा उक्त तालिका में क्रम संख्या 9 से 12 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड के चुने हुए न्यासियों के रूप में अधिसूचित करती है, नामतः--

तालिका

1. अध्यक्ष	--
2. उपाध्यक्ष	--
3. मन्त्रि सङ्घ तथा सचन विभाग, गुजरात सरकार	--गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
4. निदेशक विकास जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	--जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
5. डिप्टी कलेक्टर, सीमा शुल्क, न्यू कान्डला	--सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
6. नौसेना ऑफिसर इन्चार्ज, सीरापट्ट	--रक्षा सेवा-नौसेना का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
7. क्षेत्रीय अधीक्षक पश्चिमी रेलवे, गांधीधाम	--भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
8. कार्यकारी निदेशक तेल समन्वयन समिति, नई दिल्ली	--भारतीय तेल निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
9. कैप्टन देवेन्द्र सिंह	--इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
10. श्री दिलीप चंद्र पारीक	--गुजरात चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
11. श्री मनकूल चौपडा	--पंजाब हरियाणा एण्ड दिल्ली चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
12. श्री अर.एस. बंसल	--गांधीधाम चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

2 यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1990 से प्रभावी होगी।

[क्र. सं. पी.टी.-18011-4/89-पी.टी.]

G.S.R. 429(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 8 in the table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Kandla and notifies the persons mentioned against serial numbers 9 to 12 in the said table as elected to be Trustees on the said Board namely :—

TABLE

1. Chairman	--
2. Deputy Chairman	--
3. Secretary, Roads and Buildings Deptt., Government of Gujarat.	--Representing the Government of Gujarat.
4. Director, (Development) Min. of Surface Transport	--Representing the Ministry of Surface Transport.
5. Deputy Collector of Customs, New Kandla	--Representing the Customs Department.
6. Naval Officer-in-charge Saurashtra	--Representing the Defence Services, Navy.
7. Area Superintendent, Western Railway, Gandhidham	--Representing the Indian Railways.
8. Executive Director, Oil Coordination Committee New Delhi.	--Representing the Indian Oil Corporation.
9. Capt. Devinder Singh	--Representing the Indian National Shipowners Association.
10. Shri Dilip R. Parikh	--Representing the Gujarat Chamber of Commerce and Industry.
11. Shri Man Phool Chopra	--Representing the Punjab, Haryana and Delhi Chamber of Commerce and Industry.
12. Shri R.S. Bansal	--Representing the Gandhidham Chamber of Commerce & Industry.

This notification shall come into force on the 1st day of April, 1990.

सा. का. नि. 430(क):—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन व्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा-3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐतद्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम सं. 1 से 11 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को मुरगांव पत्तन के व्यास मंडल में व्यास नियुक्त करती है तथा उक्त तालिका में क्रम संख्या 12 से 16 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने गए व्यक्तियों के रूप में अधिसूचित करती है।

	तालिका
1. अध्यक्ष	--
2. उपाध्यक्ष	--
3. सचिव (घाई इन्स्यूटी) गोवा सरकार	--गोवा सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
4. उप सचिव (पी डी) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	--जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
5. सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, पंजिम के अतिरिक्त कलक्टर	--सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
6. गोवा क्षेत्र के फ्लेग ऑफीसर का चीफ स्टाफ ऑफीसर	--रक्षा सेवाओं (नीसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
7. महाप्रबन्धक पश्चिमो क्षेत्र, भारतीय तेल निगम, बम्बई	--भारतीय तेल निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
8. प्रभागीय रेलवे प्रबन्धक दक्षिण मध्य रेलवे, हुबली	--भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
9. प्रभागीय प्रबन्धक मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि. गोवा	--मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
10. श्री एस. भार. कुलकर्णी	--पत्तन में लगे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
11. श्री ए. जे. पीटर्स	--पत्तन में लगे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
12. श्री एस. भार. ठक्कर	--इंडियन नेशनल शिपग्रानर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
13. श्री वासुदेव बी. डेवो	गोवा मिनरल और एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
14. श्री पी. एल. पंगले	--गोवा चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
15. श्री जी एस. नाहक	--मुरगांव शिपस एजेन्ट्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
16. श्री अशोक देवप्रभू	--गोवा बाजें ग्रानर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 1990 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. पी. टी. -18011-6/89-पी.टी.]

G.S.R. 430(E):—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) read with Sub-Section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 11 in the table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Mormugao and notifies the persons mentioned against serial numbers 12 to 15 in the said table as elected to be Trustees on the said Board namely:—

TABLE

1. Chairman	
2. Deputy Chairman	
3. Secretary (IWT), Government of Goa	— Representing the Government of Goa.
4. Deputy Secretary (PD) Ministry of Surface Transport	— Representing the Ministry of Surface Transport.
5. Additional Collector of Customs and Central Excise Panjim	— Representing the Customs Department
6. Chief Staff Officer to Flag-Officer, Goa Area	— Representing the Defence Services-Navy.
7. General Manager, Western Region, Indian Oil Corporation, Bombay	— Representing the Indian Oil Corporation
8. Divisional Railway Manager South Central Railway, Hubli.	— Representing the Indian Railways
9. Divisional Manager, Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd., Goa	— Representing the Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd., Goa.

10. Shri S.R. Kulkarni	— Representing the Labour employed in the Port
11. Shri A.J. Peters	— Representing the Labour employed in the Port.
12. Shri S.R. Thakkar	— Representing the Indian National Shipowners Association.
13. Shri Vasudev V. Dempo	— Representing the Goa Mineral Ore Exporters Association.
14. Shri P.S. Angle	— Representing the Goa Chamber of Commerce and Industry.
15. Shri G.S. Naik	— Representing the Mormugao Ships' Agents' Association.
16. Shri Ashok Deshpabu	— Representing the Goa Barge Owners' Association.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1990.

[F.No. PT—18011—6/89—PT]

सा. का. नि. 431(अ) :—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन व्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के माध्यम से उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम सं. 1 से 10 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को पारादीप पत्तन की व्यवसायियों के मंडल में न्यासी नियुक्त करती है तथा उक्त तालिका में क्रम सं. 11 से 13 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने हुए व्यक्तियों के रूप में अधिसूचित करती है।

तालिका

1. अध्यक्ष	—
2. उपाध्यक्ष	—
3. सचिव, उड़ीसा सरकार	— उड़ीसा सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
4. वित्तीय सलाहकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	— जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
5. सीमा शुल्क कंसल्टर, भुवनेश्वर	— सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
6. प्रभागीय रेलवे प्रबंधक दक्षिण पूर्वी रेलवे	— भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
7. नेशनल आफिस इंचार्ज, पारादीप	— रक्षा सेवाएँ-नी सेवा का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
8. श्री पंचानन कामुनगो } 9. श्री सुधाकर मंत्री }	— पत्तन में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
10. महाप्रबंधक एम एम टी सी, कटक	— खनिज एवं घास व्यापार निगम प्रतिनिधित्व करने के लिए।
11. कैप्टन आर. बी. मोहिरा	— इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
12. श्री बी. पी. मोहुरी	— उड़ीसा के जेम्बत आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
13. श्री एन के पटनायक	— उत्कल जेम्बत आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1990 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. पी.टी.-18011/7/89-पी. टी.]

G.S.R. 431(E):—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) read with Sub-Section (6) of Section 3 of Major Port Trusts Act, 1963, (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 10 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the port of Pardip, and notifies the persons mentioned against serial numbers 11 to 13 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

TABLE

1. Chairman	
2. Dy. Chairman	
3. Secretary, Government of Orissa.	— Representing the Govt. of Orissa
4. Financial Adviser, Min. of Surface Transport	— Representing the Min. of Surface Transport.

- | | |
|---|---|
| 6. Divisional Railway Manager South-Eastern Railway | — Representing the Indian Railways. |
| 7. Naval Officer-in-Charge, Paradip | — Representing the Defence Service (Navy). |
| 8. Shri Panchanan Kanungo | — Representing the labour. |
| 9. Shri Sudhakar Mantry | — employed in the port. |
| 10. General Manager, MMTC Cuttack. | — Representing the Mineral and Metal Trading Corporation. |
| 11. Capt. R.B. Mohindra | — Representing the Indian National Shipowners Association. |
| 12. Shri B.P. Mohanty | — Representing the Orissa Chamber of Commerce and Industry. |
| 13. Shri N.K. Patnaik | — Representing the Utkal Chamber of Commerce and Industry. |

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1990.

[F.No. PT—18011/7/89—PT]

सा. का. नि. 432(अ) :—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन व्यापक अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के माध्यम से निम्न उपधारा (1) द्वारा प्रकृत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एनडब्ल्यू निम्नलिखित तालिका में क्रम सं. 1 से 12 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को विशाखापत्तन पत्तन के न्यायियों के संघ में न्यायी नियुक्त करती है तथा उक्त तालिका में क्रम सं. 13 से 15 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त संघ में चुने गए न्यायियों के रूप में अधिसूचित करती है।

तालिका

- | | |
|--|--|
| 1. अध्यक्ष | — |
| 2. उपाध्यक्ष | — |
| 3. पञ्च सचिव, परिवहन सड़क, और निर्माण विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार | —आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 4. उप सचिव (पी.टी.) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय | —जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 5. सीमा शुल्क के अधिष्ठाता कन्स्टेबल, विशाखापत्तनम | —सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 6. प्रभावीय रेजिस्ट्रार प्रबन्धक, बालडेयर, दक्षिण पूर्वी रेजिस्ट्रार | —भारतीय रेजिस्ट्रार का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 7. रेजिस्ट्रार आफिसर इन्चार्ज, विशाखापत्तनम | —रक्षा सेवाएं-नौसेना का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 8. महा प्रबन्धक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. विशाखापत्तनम। | —हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 9. महाप्रबन्धक, एम.एम.टी.सी. विशाखापत्तनम | —मिन्टल एण्ड मेटल ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 10. संपन्न निदेशक भारतीय नौसहन नियम | —भारतीय नौसहन नियम का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 11. श्री बी.के. शर्मा | —पत्तन में छोटे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 12. श्री बी.बी. रामा राव | —पत्तन में बड़े श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 13. श्री बी.बी. जो. रेड्डी | —कैम्ब्रिज ऑफ आंध्र प्रदेश चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री ट्रेडर्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 14. श्री के.बी. कृष्ण कुमार | —विशाखापत्तनम चैम्बर ऑफ कामर्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 15. श्री जी. पट्टाभिरामय्या | —इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 1990 से प्रभावी होगी।

G.S.R. 432(E):—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) read with Sub-Section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts, Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the person mentioned against serial numbers 1 to 12 in the table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Visakhapatnam and notifies the persons mentioned against serial numbers 13 to 15 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

TABLE

1. Chairman	—
2. Deputy Chairman	—
3. Principal Secretary, Transport, Roads & Building Deptt. Government of Andhra Pradesh	— Representing the Government of Andhra Pradesh.
4. Deputy Secretary (PT) Ministry of Surface Transport.—	Representing the Ministry of Surface Transport.
5. Additional Collector of Customs, Visakhapatnam	— Representing the Customs Department.
6. Divisional Railway Manager-Waltair, South Eastern Rly.	Representing the Indian Railways.
7. Naval Officer-in-Charge Visakhapatnam	— Representing the Defence Services—Navy.
8. General Manager, Hindustan-Petroleum Corporation Ltd. Visakhapatnam.	Representing the Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
9. General Manager, Minerals and Metals Trading Corporation, Visakhapatnam	— Representing the Minerals and Metals Trading Cor- poration of India, Ltd.
10. Joint Managing Director, Shipping Corporation of India.	— Representing the Shipping Corporation of India.
11. Shri D.K. Sarma	— Representing the Labour employed in the Port.
12. Shri V.V. Rama Rao	— Representing the Labour employed in the Port.
13. Shri B.V.B. Reddy	— Representing the Federation of Andhra Pradesh Chambe of Commerce and Industry, Hyderabad.
14. Shri K.V. Krishna Kumar	— Representing the Visakhapatnam Chamber of Com- merce, Visakhapatnam.
15. Shri G. Pattabhi Ramayya	— Representing the Indian National Shipowners' Association.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1990.

[F.No. PT-18011-8/89-PT
YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.]